

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 88] No. 88]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 31, 2007/माघ 11, 1928

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 31, 2007/MAGHA 11, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2007

का.आ. 93(अ), – केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है और उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थातु :-

उक्त अधिनियम की अनुसूची में क्रम सं. 3ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

सारणी

क्र. सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का वर्णन	
1	2	3	
3ঘ	राष्ट्रीय राजमार्ग 2 का विस्तार	राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर सबादा बागान सड़क संगम से आरंभ होने वाले और पश्चिमी बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 34 के संगम पर समाप्त होने वाले बेलघरिया एक्सप्रेस मार्ग के 7.363 किलोमीटर का भूखंड ।	

[फा. सं. एनएच-14012/4/2006-पी एड एम]

प्रभाकर, उप-सचिव

पाद टिप्पण : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिानियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची अधिसूचना सं 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा उक्त अधिानियम के साथ राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. कां.आ. 835(अ) तारीख 1 जून, 2006 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways) NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2007

S. O. 93(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares the highway specified in the Table below to be national highway and

299 GI/2007

makes the following further amendments in the Schedule to the said Act, namely:—

In the Schedule to the said Act, after serial number 3C and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:—

TABLE

S. No.	National Highway No.	Description of National Highway	
1	2	3	
3D	Extension of NH2	Stretch of 7.363 Km. of Belgharia Expressway starting from Sabada Bagan Road Junction on NH-2 and terminating at the Junction of National Highway No. 34 in the State of West Bengal.	

[F. No. NH-14012/4/2006-P&M] PRABHAKAR, Dy. Secy.

Foot Note:—The Scheduled to the National Highways Act, 1956 (48of 1956) was published in the Official Gazette with the said Act vide Notification Number 1180, dated the 4th April 1957 and was last amended vide Notification Number S.O. 835 (E), dated the 1st June, 2006.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2007

का.आ. 94(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध सारणी (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सारणी कहा गया है) के स्तंभ 1 में यथा वर्णित राष्ट्रीय राजमार्ग की उक्त सारणी के स्तंभ 2 में उसके सामने यथा उल्लिखित तत्स्थानी सेक्शन के उक्त सारणी के स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट भूखंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है।

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	संक्रशन	भूखंड किलोमीटर में
1	2	-3
राष्ट्रीय राजमार्ग	राष्ट्रीय राजमार्ग २ पर सबादा बागान सड्क	7.363 किलोमीटर
2 का विस्तार	संगम से आरंभ होने वाला और पश्चिमी बंगाल	
	राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 34 के संगम पर	
	समाप्त होने वाला बेलघरिया एक्सप्रेस मार्ग ।	

[फा. सं. एनएच-14012/4/2006-पी एंड एम]

प्रभाकर, उप-सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2007

S. O. 94(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch as specified in column 3 of the Table annexed hereto (hereinafter referred to as the said Table), of the corresponding section as mentioned against in column 2 of the said Table, of the National Highways as described in column 1 of the said Table, to the National Highways Authority of India.

TABLE

National Highway Number	Section	Stretch in Kilometer
1 ,	2	3
Extension of NH 2	Belgharia Express way starting from Sabada Bagan Road Junction on NH-2 and terminating at the Junction of National Highway No. 34 in the state of West Bengal.	7.363 Km.

[F. No. NH-14012/4/2006-P&M]

PRABHAKAR, Dy. Secy.